प्रेस नोट- दिनांक 25.03.2024

इटावा पुलिस द्वारा गोवंशों की तस्करी करने वाले 03 अन्तर्राज्यीय गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार , कब्जे से 02 तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस तथा 01 खोखा कारतूस, 01 अवैध छुरा, 01 कन्टेनर परिवहन में प्रयुक्त, 01 ऑटो रैकी में प्रयुक्त (अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपये) किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का विवरण-

आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में गौतस्करी/गौकशी की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 24/25.03.2024 की रात्रि को थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा लखेरे कुँआ तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि सिरसा की मडैया में 01 कंटेनर नं0 UP21 CN3664 में कुछ व्यक्ति गोवंश लाद रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम फौजी होटल के पास पहुँची तो कंटेनर में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिसकी 01 गोली प्रभारी निरीक्षक थाना जसवन्तनगर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो 01 गोली अभियुक्त संजय यादव के दाहिने पैर में लगी जिसे पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा, 01 खोखा कारतूस सहित एवं 02 अन्य साथियों को फौजी होटल के पास बीहड़ जंगल से समय रात्रि 01.25 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त सत्यवीर के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं अभियुक्त संजीव कुमार के कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद किया गया तथा कन्टेनर को चैक किया गया तो उसके अन्दर से 26 गोवंश बैल बरामद किये गये, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग जंगलों में गोवंश को इकठ्ठा कर लेते हैं फिर इन्हें कन्टेनर में लादकर बिहार में बेच देते हैं साथ ही बताया कि तमंचा व छुरे को विपरीत परिस्थियों में लोगों को डराने हेतु अपने पास रखते है। एवं बरामद ऑटो के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि इसका प्रयोग जसवन्तनगर एवं आस-पास के क्षेत्र में रैकी के लिये करते हैं।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी तथा पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, धारा 307 भादवि तथा धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नोटः-अभियुक्तों की निशादेही के आधार पर 05 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये है जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जायेगी।

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0 45/2024 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 व धारा 307 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.संजय यादव पुत्र सत्यप्रकाश निवासी गंगादासपुर थाना ऊसराहार जनपद इटावा उम्र 25 वर्ष

2.सत्यवीर पुत्र दीवान सिंह निवासी पीहरपुर थाना बलरई जनपद इटावा उम्र 37 वर्ष

3.संजीव कुमार पुत्र बाबूराम निवासी पीहरपुर थाना बलरई जनपद इटावा उम्र 52 वर्ष।

बरादमगीः-

01. 26 गोवंश बैल

02. 02 तमंचा 315 बोर

03. 01 खोखा कारतूस 315 बोर

04.03 जिंदा कारतूस 315 बोर

05. 01 अवैध छुरा

06. 01 कन्टेनर नं0 UP21 CN 3664 (परिवहन में प्रयुक्त)

07.01 ऑटो (रैकी करने में प्रयुक्त)
08. 02 मोबाइल फोन

पुलिस टीमः- निरी0 कपिल दुबे प्रभारी निरीक्षक थाना बलरई, उ0नि0 प्रशांत कुमार, उ0नि0 इमरान फरीद, का0 सत्यवीर सिंह, का0 दानिश, का0 चालक सनोज कुमार ।